भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3167
गुरुवार, दिनांक 11 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>भारतीय सौर ऊर्जा निगम</u>

3167. डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
डॉ॰ प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः
श्री विनायक भाऊराव राऊतः
श्री गिरीश भालचन्द्र बापटः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सौर या पवन ऊर्जा उत्पादकों और भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) या सरकारी विशाल विद्युत कंपनी एनटीपीसी के मध्य संविदात्मक समझौतों के कार्यान्वयन के कारण आकस्मिक विवादों के समाधान हेतु सौर और पवन ऊर्जा उद्योग, विवाद समाधान तंत्र की मांग कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने संविदात्मक करारों के इतर विवादों के निपटारे हेतु एक त्रिसदस्यीय विवाद समाधान समिति (डीआरसी) गठित करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और डीआरसी के सदस्यों के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) उक्त समिति कब तक कार्य करना आरंभ करेगी;

(ङ) क्या एसईसीआई ने देश भर में वितरण लाइसेंसों के साथ बहु-विद्युत आपूर्ति समझौता (पीएसए) पर हस्ताक्षर किया है; और

(च) यदि हां, तो किन राज्यों के साथ वितरण लाइसेंसों के साथ बहु पीएसए पर हस्ताक्षर किया गया है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर. के. सिंह)

(क) जी, हाँ। सरकार को सौर तथा पवन विद्युत उद्योगों और उनके एसोसिएशनों जैसे सौर विद्युत विकासकर्त्ता एसोसिएशन (अनुलग्नक-क) से सौर और पवन विद्युत विकासकर्त्ताओं और भारतीय सौर ऊर्जा निगम (सेकी) अथवा एनटीपीसी के बीच संविदात्मक समझौतों के कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाले आकस्मिक विवादों का समाधान करने के लिए एक विवाद समाधान तंत्र का गठन करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं।

(ख) जी, हाँ। सरकार ने दिनांक 18.06.2019 के आदेश सं. 283/124/2018-ग्रिड सौर के माध्यम से सौर/पवन विद्युत विकासकर्त्ताओं और सेकी/एनटीपीसी के बीच संविदात्मक समझौतों से इतर आकस्मिक विवादों पर विचार करने के लिए एक विवाद समाधान तंत्र गठित करने हेतु आदेश जारी किया है।

(ग) दिनांक 27.06.2019 के आदेश सं. 283/124/2018-ग्रिड सौर के माध्यम से इस तंत्र के अंतर्गत गठित विवाद निपटान समिति के सदस्य निम्नानुसार हैं:-

i. श्री एम.एफ. फारुकी (पूर्व सचिव, डीओटी/भारी उद्योग सचिव, पूर्व भा.प्र.से. अधिकारी, तमिलनाडुः 1978)
ii. श्री अनिल स्वरूप (पूर्व कोयला सचिव/स्कूली शिक्षा सचिव, पूर्व भा.प्र.से. अधिकारी, उत्तर प्रदेशः 1981)
iii. श्री ए.के. दुबे (पूर्व खेल सचिव, पूर्व भा.प्र.से. अधिकारी, केरलः 1982)

चयन संबंधी मानदंड एमएनआरई के दिनांक 18.06.2019 के आदेश सं. 283/124/2018-ग्रिड सौर के अनुसार हैं।

(घ) दिनांक 27.06.2019 के आदेश सं. 283/124/2018-ग्रिड सौर के माध्यम से गठित त्रिसदस्यीय विवाद निपटान समिति ने काम करना आरंभ कर दिया है।

(ङ) और (च): जी, हाँ। सेकी ने आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों नामतः अंडमान और निकोबार, दादरा और नगर हवेली (डीएनएच) तथा पुडुचेरी के वितरण लाइसेंस धारकों के साथ विद्युत खरीद समझौतों (पीएसए) पर हस्ताक्षर किए हैं।

अनुलग्नक-क

'भारतीय सौर ऊर्जा निगम' के संबंध में पूछे गए दिनांक 11.07.2019 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3167 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-क

61124/2018/ग्रिड सौर-एमएनआरई

सौर विद्युत विकासकर्त्ता एसोसिएशन

तृतीय तल, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भवन, 4 संसद मार्ग
नई दिल्ली-110001, दूरभाषः 9810222250
ई-मेलः spda.delhi@gmail.com, duttshekhar@yahoo.com
वेबसाइटः www.solarpda.com

शेखर दत्त, एसएम, भा.प्र.से.(सेवानिवृत्त)
महानिदेशक, एसपीडीए
पूर्व राज्यपाल, छत्तीसगढ़

.....

एसपीडीए/दिल्ली/एमएनआरई/12-2018-05 05 दिसम्बर, 2018

श्री आनंद कुमार, भा.प्र.से.
सचिव, भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
ब्लॉक-14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
नई दिल्ली

विषयः सौर विद्युत क्षेत्र के लिए विवाद निपटान समिति (डीआरसी) के गठन हेतु अनुरोध।

प्रिय श्री आनंद कुमार,

यह पत्र हमारे दिनांक 27.04.2018 के पत्र के संदर्भ में है जो विवाद निपटान समिति (डीआरसी) के गठन से संबंधित है। विगत कुछ वर्षों में सौर क्षेत्र में विवादों की संख्या में काफी वृद्धि देखी गई है जिसके फलस्वरूप मुकदमे चल रहे हैं। इन मुकदमों के परिणामस्वरूप विवादकर्त्ता पक्षों के प्रयासों, समय और पैसों का काफी अपव्यय हुआ है। इस समिति का उद्देश्य ऐसी समस्याओं का समाधान करना होगा।

इस प्रस्ताव पर दिनांक 26.11.2018 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के साथ हुई बैठक के दौरान विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक में हुई चर्चा के अनुसार हम सौर क्षेत्र के लिए डीआरसी के गठन का प्रस्ताव करते हैं जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया हैः-

---

पूर्व
*उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भारत सरकार *रक्षा सचिव, भारत सरकार *सचिव, रक्षा उत्पादन, भारत सरकार
*सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार *महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण

दायरा
▪ वित्तीय समापन/कमीशनिंग हेतु समय-विस्तार, राज्य/केन्द्रीय एजेंसियों से विनियमाक अनुमोदनों में विलंब, भूमि अधिग्रहण के कारण विलंब, पारेषण लाइनों, कनेक्टिविटी, कानून और आदेश संबंधी मामलों आदि से संबंधित संविदात्मक समस्याओं का तेजी से समाधान।
सदस्य
▪ एक वरिष्ठ सदस्य (एनटीपीसी, सीईए, सीईआरसी, एसईआरसी आदि के सेवानिवृत्त अधिकारी) ▪ एक वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञ सदस्य (उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि के सेवानिवृत्त न्यायाधीश) ▪ उद्योग एसोसिएशन से विशेष आमंत्रित सदस्य (ऐच्छिक) - नोडल एजेंसी द्वारा नियुक्त अन्य पक्ष परामर्शी
प्रक्रिया
▪ विकासकर्त्ताओं, बैंकरों, नोडल एजेंसियों के समाधान नहीं किए गए विवादों को सभी कागजात के साथ विवाद निपटान समिति (डीआरसी) को प्रस्तुत किया जाएगा। ▪ अपीलकर्त्ता/प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुतिकरण जिसके उपरांत प्रत्युत्तर तथा संबंधित हितधारकों के साथ एक-एक करके चर्चा की जाएगी। ▪ डीआरसी यथा आवश्यक अतिरिक्त कागजात की मांग कर सकती है जिसे हितधारक द्वारा दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। ▪ डीआरसी लंबित विवादों पर चर्चा के लिए मासिक बैठकें बुला सकती है। ▪ प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के पश्चात् 8 सप्ताह के भीतर डीआरसी द्वारा अंतिम बाध्यकर आदेश।

यह उल्लेखनीय है कि सड़क क्षेत्र की एजेंसियों जैसे- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने विवादों के त्वरित निपटान के लिए अग्रगामी उपाय किए हैं। एनएचएआई द्वारा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) कार्यक्रम में अपनाई गई ऐसी ही एक कार्यप्रणाली के ब्यौरे आपके संदर्भ हेतु संलग्न किए गए हैं।

सेकी, एनटीपीसी और राज्य वितरण कंपनियों द्वारा सौर विद्युत क्षेत्र में ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाने से न्यायपालिका पर मुकदमों के बोझ को कम करने और विभिन्न समस्याओं का समय पर समाधान करने में वास्तविक रूप से सहायता मिलेगी।

हम इस संबंध में आपके द्वारा सकारात्मक रूप से विचार करने और समिति का गठन करने की आशा करते हैं।

सधन्यवाद,

आपका,

शेखर दत्त

संलग्नकः यथोक्त

*****